



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No.3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह

PROF. KRISHNA KUMAR SINGH

कार्यकारी कुलसचिव

ACTING REGISTRAR

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902

फैक्स / Fax : +91-7152-247602

क्रमांक : 006/Estt./2010/11-3 Vol.II/ 1363

दिनांक : 09.08.2019

कार्यालयादेश

डॉ. रेणु सिंह, सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग तथा डॉ. सुहासिनी वाजपेयी, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग को तत्काल प्रभाव से 'सावित्रीबाई फुले छात्रावास' की अधीक्षक नामित किया जाता है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए जारी किया जाता है।

(कुलसचिव)

प्रति,

1. डॉ. रेणु सिंह
सहायक प्रोफेसर
जनसंचार विभाग
म.गां.अं.हिं.वि.,वर्धा
2. डॉ. सुहासिनी वाजपेयी
सहायक प्रोफेसर
शिक्षा विभाग
म.गां.अं.हिं.वि.,वर्धा

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. कुलपति कार्यालय
2. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र
3. कुलानुशासक कार्यालय
4. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण
5. कुलसचिव कार्यालय
6. वित्ताधिकारी कार्यालय
7. समन्वयक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
8. केयरटेकर, सावित्रीबाई फुले छात्रावास
9. जनसंपर्क अधिकारी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. संबंधित पत्रावली
11. गार्ड फाइल